बिहार सरकार

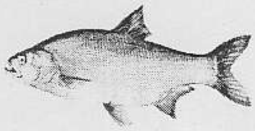

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

प्रगतिशील मत्स्य कृषक / मछुआरा भाई मत्स्य प्रशिक्षण के लिए ध्यान दें।

राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों / मछुआरों के लिए " **मत्स्य प्रशिक्षण की योजना** " निःशुल्क चलायी जा रही है। प्रशिक्षण निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जा रहा है :–

i. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुॅम्बई के उपकेन्द्र, काकीनाडा, ऑंध्राप्रदेश

ii. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साल्टलेक, कोलकाता

iii. केन्द्रीय अर्न्तस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता

iv. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के पावरखेड़ा, मध्य प्रदेश

v. कॉलेज ऑफ फिशरीज, पंतनगर, उत्तराखंड

vi. केन्द्रीय मीठाजल जीवपालन अनुसंधान संस्थान, कोशल्यागंगा, भूवनेश्वर, उड़ीसा

vii. मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना

viii. दीपनारायण सिंह सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना

ix. आई0सी0ए0आर0, पटना केन्द्र, पटना

x. कॉलेज ऑफ फिशरीज, ढ़ोली, मुजफ्फरपुर

प्रशिक्षण में प्रशिक्षाणार्थी के जिला मुख्यालय से प्रशिक्षण संस्थान तक आने–जाने हेतु यात्रा खर्च सरकार वहन करेगी। राज्य से बाहर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मार्ग व्यय भी अलग से भुगतेय है। काकीनाडा बैच के प्रशिक्षणार्थीयों से निबंधन हेतु मात्र ₹250 एवं अन्य प्रशिक्षणार्थी से ₹100 प्रशिक्षण शुल्क जमा करना है।

प्रशिक्षणार्थियों का चयन :–

चयन हेतु निम्न पात्रता होगी–

(क) मत्स्य पालक जो निजी / पटट्ा पर अथवा सरकारी तालाब / जलकर में मत्स्य पालन कार्य कर रहे हो,

(ख) मत्रय पालन करना चाहते हो तथा बैंक ऋण / स्वलागत से तालाब निर्माण / हैचरी / फिस फिड मिल के अधिष्ठापन आदि हेतु आवेदन समर्पित किया गया हो,

(ग) प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सकिय सदस्य हों।

निःशुल्क प्रशिक्षण योजना का लाभ उठाकर मछली उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि एवं आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते है।

इच्छुक मत्स्य कृषक / मछुआरा भाई अपना आवेदन अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र में अपना मोबाईल नम्बर का उल्लेख अवश्य करें। इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या 1701 दिनांक 24.05..2018 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।